

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज ।
परिवाद संख्या-11441 / 2022
बबली बेगम बनाम तत्कालीन थानाध्यक्ष, ढोलना आदि ।

17.03.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली में बयान अंतर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० अंकित करवाये जाने के स्तर पर कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी, विपक्षीगण को तलब नहीं कराना चाहती है और उपरोक्त परिवाद बल न देने के कारण विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आधार नहीं है, क्योंकि दाखिल प्रपत्रों से उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आधार नहीं है। अतः प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा-203 दं०प्र०सं० के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विजय कुमार- ।।।)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज ।
(J.O. Code No. UP 1872)